अमर उजाला

UP: ठेके से बिक रही थी ब्रांडेड बोतलों में नकली शराब, दबोचा गया सैल्समेन, दुकान का मालिक फरार

मेरठ में गंगानगर पुलिस ने ठेके के सेल्समैन को गिरफ्तार कर बड़ी संख्या में नकली शराब की भरी और खाली ब्रांडेड बोतलें व 2.29 लाख रुपये बरामद किए। आरोपी ने बताया कि ब्रांडेड शराब की बोतलों में इंजेक्शन से बनाई गई नकली शराब अंग्रेजी ठेके से बेची जा रही थी।

गंगानगर थाना प्रभारी अनिल कुमार शाही के अनुसार बुधवार रात डिवाइडर रोड पर आईआईएमटी चौराहे पर चेकिंग के दौरान एक कार सवार में अंग्रेजी शराब की एक पेटी बरामद हुई। पूछताछ में कार सवार युवक ने जन्मदिन पार्टी के लिए शराब लेकर जाने की बात की। शक होने पर थाने लाकर पूछताछ की गई और आबकारी विभाग के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया। युवक ने अपना नाम अंकित कुमार चपराना पुत्र विनेश कुमार निवासी पांचली खुर्द थाना जानी बताया। उसने बताया कि वह भावनपुर थाना क्षेत्र के अब्दुल्लापुर चौराहे के पास अंग्रेजी शराब के ठेके पर सेल्समैन है और बड़े पैमाने पर ब्रांडेड बोतलों में नकली शराब भरकर बेच रहा था।
उसकी निशानदेही पर इंजेक्शन से बनाई गई नकली शराब, कई कंपनी की खाली बोतलें, रैपर, नकली क्यूआर कोड चिट, 2.29 लाख की नकदी व अन्य सामान बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपी अंकित कुमार चपराना, फरार आरोपी चमन निवासी ग्राम चकनवाला जिला गजरौला, ठेका मालिक संजय मलिक पुत्र बलवीर सिंह

हनुमन्तपुरम कनखल हरिद्वार के खिलाफ आबकारी अधिनियम और धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है।

डीएम को भेजी लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट

गंगानगर पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने सुबह अब्दुल्लापुर में अंग्रेजी शराब के ठेके पर जाकर सैंपल भरे और ठेका सील कर दिया। दोपहर में खोलने की अनुमति दे दी। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि ठेका मालिक संजय मलिक के खिलाफ मुकदमा कराया गया है। उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। डीएम को शराब की दुकान के लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट भेजी गई है।

आसपास के ठेकों पर भी हो रही थी सप्लाई

बताया जा रहा है कि आरोपी साथियों के साथ मिलकर महंगी ब्रांडेड बोतलों में नकली शराब की सप्लाई आसपास के क्षेत्र के ठेकों पर सप्लाई कर रहा था।

पिछले साल बक्सर में जहरीली शराब से हुई थी दो सगे भाइयों की मौत

गंगानगर थाना क्षेत्र में मवाना रोड पर सूर्य अस्पताल के सामने स्थित मकान में पिछले साल 25 दिसंबर को दो सगे भाइयों अजय और विकास की जहरीली शराब पीने से मौत हुई थी। घर के बराबर में स्थित देसी शराब के ठेके से रात के समय दोनों भाइयों ने शराब खरीदी और घर मे लाकर पी थी। सुबह को दोनों के शव कमरे में मिले थे। मामला दबाने के लिए पुलिस ने दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिसरा सुरक्षित रखने की बात कही थी। उस मामले में भी ठेका संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसे लेकर गंगानगर थाना पुलिस के खिलाफ परिजनों ने हंगामा किया था।

Source: https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/meerut/fake-liquor-was-being-sold-in-branded-bottles-through-contract-na-news-c-72-1-mrt1059-8419-2023-11-17?pageId=4